जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
(जन–सम्पर्क अनुभाग)
(प्रेस विज्ञप्ति)

विद्युत निगमों के कामकाज की होगी साप्ताहिक समीक्षा
वीडियों कॉन्फ्रेस के माध्यम से प्रमुख शासन सचिव, ऊर्जा ने की विभिन्न योजनाओं एवं कार्यों की प्रगति की समीक्षा

जयपुर, 08 जुलाई। ऊर्जा विभाग में चल रही विभिन्न योजनाओं एवं कार्यों की प्रगति की अब साप्ताहिक रुप से प्रत्येक सोमवार को वीडियो कान्फ्रेन्स के माध्यम से समीक्षा होगी। इसके तहत सोमवार को आयोजित पहली वीडियो कान्फ्रेन्स के माध्यम से प्रमुख शासन सचिव ऊर्जा श्री नरेश पाल गंगवार द्वारा विभिन्न योजनाओं और कार्यों की अब तक हुंई प्रगति की समीक्षा की गई। वीडियो कान्फ्रेन्स में विद्युत प्रसारण निगम के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक श्री कुंजीलाल मीणा, विद्युत उत्पादन निगम के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक श्री पी. रमेश, जयपुर डिस्कॉम के प्रबन्ध निदेशक श्री ऐ.के. गुप्ता, अजमेर डिस्कॉम के प्रबन्ध निदेशक श्री वी. एस. भाटी, जोधपुर डिस्कॉम के प्रबन्ध निदेशक श्री अविनाश सिंघवी, ऊर्जा विकास निगम के प्रबन्ध निदेशक श्री पीयूष सामरिया, अक्षय ऊर्जा निगम के प्रबन्ध निदेशक श्री अनिल गुप्ता सहित सभी विद्युत निगमों के उत्तरदायी व प्रभारी अधिकारी उपस्थित रहे।

प्रमुख शासन सचिव ऊर्जा श्री नरेश पाल गंगवार ने कहा कि विभिन्न योजनाओं के प्रभावी कियान्वयन के लिए उत्तरदायी व प्रभारी अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। सोमवार को आयोजित वीडियो कान्फ्रेन्स में ऊर्जा अंकेक्षण के तहत फीडरों पर लगाए गए मोडम व उनकी कियाशीलता, सुनिश्चित की जाएगी, प्रत्येक फीडर पर 15 प्रतिशत तक विद्युत छीजत के लिए विभिन्न स्तरों तक निर्धारित लक्ष्यों की प्रगति, खराब/बन्द मीटरों को शीघ्रता से योजनाबद्ध बदलने, ईआरपी तंत्र का कियान्वयन, सूचना प्रौद्योगिकी के समावेश की योजनाओं के कार्यान्वयन की स्थिति की समीक्षा की गई और निर्देश दिए कि ईआरपी का कियान्वयन दिसम्बर, 2019 तक पूर्ण किया जावे।

केन्द्र सरकार की योजनाएं की प्रगति, सभी विद्युत निगमों के कर्मचारियों और अधिकारियों की ट्रेनिंग के लिए पालिसी तैरार करने के निर्देश दिए गए। उपभोक्ता सेवाएं और बेहतर करने और उनकी शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए तीनों डिस्कॉम के अधिकारियों को निर्देशित किया गया। सभी अधिकारियों को विद्युत आपूर्ति को बेहतर बनाने हेतु साप्ताहिक फील्ड विजिट करने के निर्देश दिए गए।

————————

प्रेस विज्ञप्ति संख्या– 890/2019